क्रम-संख्या–150

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 21 अगस्त, 2024
श्रावण 30, 1946 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1686 / वि0स0 / संसदीय / 63(सं)-2024
लखनऊ, 29 जुलाई, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 29 जुलाई, 2024 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है: –

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2021 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021, (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है, में), धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थातः—

''4—अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई सूचना किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है और ऐसी सूचना देने के रीति वही होगी जो जैसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) के अध्याय 13 में दी गयी हैं।''

धारा 5 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थातः—

''5 (1) जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जायेगा, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा :

परन्तु यह कि जो कोई किसी अवयस्क, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के सम्बन्ध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो चौदह वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो एक लाख रूपये से कम नहीं होगाः

परन्तु यह और कि जो कोई सामूहिक धर्म संपरिवर्तन के सम्बन्ध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा जो सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो चौदह वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो एक लाख रूपये से कम नहीं होगा;

(2) जो कोई विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन के सम्बन्ध में किन्हीं विदेशी अथवा अविधिक संस्थाओं से धन प्राप्त करेगा वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा, जो सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो चौदह वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो दस लाख रूपये से कम नहीं होगा।

(3) जो कोई धर्म संपरिवर्तन करने के आशय से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए भय में डालता है, हमला करता है या बल का प्रयोग करता है या विवाह या विवाह करने का वचन देता है या उसके लिए उत्प्रेरित करता है या षडयंत्र करता है या उन्हें प्रलोभन देकर किसी नाबालिक, महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है या अन्यथा उन्हें विक्रीत करता है या इस निमित्त दुष्प्रेरण, प्रयास अथवा षडयंत्र करता है वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास से होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा :

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा।

(4) न्यायालय उक्त धर्म संपरिवर्तन के पीड़ित को अभियुक्त द्वारा संदेय समुचित प्रतिकर भी स्वीकृत करेगा, जो अधिकतम पांच लाख रूपये तक हो सकता है जो जुर्माना के अतिरिक्त होगा।

(5) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पूर्व में सिद्ध दोष ठहराये जाने पर इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का पुनः सिद्धदोष ठहराया जायेगा वह ऐसे प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए दण्ड का दायी होगा जो इस अधिनियम के अधीन तद्निमित्त प्रदान किये गये दण्ड के दो गुना से अधिक नहीं होगा ।''

धारा 7 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थातः–

''7 (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध, संज्ञेय और गैर जमानतीय होंगे तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में हो, को जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जायेगा, जब तक कि,–

(क) लोक अभियोजक को, ऐसे छोड़े जाने के लिए जमानत के आवेदन का विरोध करने हेतु अवसर न प्रदान कर दिया जाय; और

(ख) जहाँ लोक अभियोजक जमानत के आवेदन का विरोध करता है वहाँ सत्र न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किया जाना संभाव्य नहीं है।''

————————

उद्देश्य एवं कारण

विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता और गंभीरता, महिलाओं की गरिमा एवं सामाजिक स्थिति तथा अविधिक धर्म संपरिवर्तन जनसांख्यिकी परिवर्तन में विदेशी और राष्ट्र विरोधी तत्वों और संगठनों की संगठित और योजनाबद्ध क्रिया–कलापों को ध्यान में रखते हुए, यह अनुभव किया गया है कि उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 में उपबन्धित जुर्माने और दंड की राशि में वृद्धि की जानी चाहिए और जमानत की शर्तों को अधिक से अधिक कड़ा बनाया जाना चाहिए। जैसा कि अधिनियम के विद्यमान दण्ड विषयक उपबन्ध अवयस्क, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के संबंध में धर्मांतरण एवं सामूहिक धर्मान्तरण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि, उक्त के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 4 तक विधिक के संबंध में विभिन्न मामलों में अतीत में उत्पन्न हुई कतिपय कठिनाइयों का समाधान करना भी आवश्यक हो गया है।

तद्नुसार, उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

————————

<u>उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।</u>

उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2024

धारा 4

अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई सूचना किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है और ऐसी सूचना देने के रीति वही होगी जैसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन 2023) के अध्याय 13 में दी गयी हैं।

धारा 5

(1) जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जायेगा, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा :

परन्तु यह कि जो कोई किसी अवयस्क, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के सम्बन्ध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो चौदह वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने का

भी दायी होगा, जो एक लाख रूपये से कम नहीं होगा :

परन्तु यह और कि जो कोई सामूहिक धर्म संपरिवर्तन के सम्बन्ध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा जो सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो चौदह वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो एक लाख रूपये से कम नहीं होगा।

(2) जो कोई विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन के सम्बन्ध में किन्हीं विदेशी अथवा अविधिक संस्थाओं से धन प्राप्त करेगा वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा, जो सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो चौदह वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो दस लाख रूपये से कम नहीं होगा।

(3) जो कोई धर्म संपरिवर्तन करने के आशय से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए भय में डालता है, हमला करता है या बल का प्रयोग करता है या विवाह या विवाह करने का वचन देता है या उसके लिए उत्प्रेरित करता है या षड्यंत्र करता है या उन्हें प्रलोभन देकर किसी अवयस्क महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है या अन्यथा उन्हें विक्रीत करता है या इस निमित्त दुष्प्रेरण, प्रयास अथवा षडयंत्र करता है वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास से होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा :

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा।

(4) न्यायालय उक्त धर्म संपरिवर्तन के पीड़ित को अभियुक्त द्वारा संदेय समुचित प्रतिकर भी स्वीकृत करेगा, जो अधिकतम पांच लाख रूपये तक हो सकता है जो जुर्माना के अतिरिक्त होगा।

(5) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पूर्व में सिद्ध दोष ठहराये जाने पर इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का पुनः सिद्धदोष ठहराया जायेगा वह ऐसे प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए दण्ड का दायी होगा जो इस अधिनियम के अधीन तद्निमित्त प्रदान किये गये दण्ड के दो गुना से अधिक नहीं होगा।

धारा 7

(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध, संज्ञेय और गैर जमानती होंगे तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में हो, को जमानत पर तब तक नही छोड़ा जायेगा, जब तक कि–

(क) लोक अभियोजक को, ऐसे छोड़े जाने के लिए जमानत के आवेदन का विरोध करने हेतु अवसर न प्रदान कर दिया जाय; और

(ख) जहां लोक अभियोजक जमानत के आवेदन का विरोध करता है वहाँ सत्र न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किया जाना संभाव्य नहीं है।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR

SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 377/XC-S-1–24-25 S-2024

Dated Lucknow, August 21, 2024

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Vidhi Viruddh Dharm Samparivartan Pratishedh (Sanshodhan) Vidheyak, 2024'' introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on July 29, 2024:

THE UTTAR PRADESH PROHIBITION OF UNLAWFUL CONVERSION OF RELIGION (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the *Gazette*.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 3 of 2021

2. In the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021, (hereinafter referred to as the "principal Act"), for section 4, the following section shall be *substituted*, namely:-

"4. An information relating to the contravention of the provisions of the Act may be given by any person and the manner of giving such information shall be the same as given in Chapter XIII of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)."

Amendment of section 5

3. For section 5 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:-

"5(1) Whoever contravenes the provisions of section 3, shall, without prejudice to any civil liability, be punished with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than fifty thousand rupees:

Provided that whoever contravenes the provisions of section 3 in respect of a minor, a disabled or mentally challenged person, a woman or a person belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to fourteen years and shall also be liable to fine which shall not be less than one lakh rupees:

Provided further that whoever contravenes the provisions of section 3 in respect of mass conversion of religion shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to fourteen years and shall also be liable to fine which shall not be less than one lakh rupees.

)2 (Whoever receives money from any foreign or illegal institutions in connection with unlawful religious conversion shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to fourteen years and shall also be liable to fine which shall not be less than ten lakh rupees.

(3) Whoever, with the intent to convert, puts any person in fear of his life or property, assaults or uses force or marries or promises to marry or induces or conspires for the same, or traffics a minor, a woman or a person by enticing them or otherwise selling them, or abets, attempts or conspires in this behalf, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine:

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim:

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.

)4 (The Court shall also approve appropriate compensation payable by the accused to the victim of the said conversion, which may extend to five lakh rupees, in addition to the fine.

(5) Whoever, having previously been convicted of an offence under this Act, is again convicted of an offence punishable under this Act, shall, for every such subsequent offence, be liable to a punishment not exceeding twice the punishment provided in that behalf under this Act."

Amendment of section 7

4. For section 7 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:-

"7)1 (Notwithstanding anything contained in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023), all offences under this Act shall be cognizable and non-bailable and triable by the Court of Sessions.

)2 (No person accused of any offence punishable under this Act, if in custody, shall be released on bail, unless,–

)a) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the bail application for such release; and

(b) where the Public Prosecutor opposes the bail application, the Court of Sessions is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Keeping in view the sensitivity and gravity of the crime of unlawful religious conversion, the dignity and social status of women and the organised and planned activities of foreign and anti-national elements and organisations in illegal religious conversion and change in demography, it has been felt that the amount of fines and punishments provided in the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021 should be increased and conditions of bail should be made more stringent. As the existing penal provisions of the Act are not sufficient to curb and control the conversion and mass conversion in respect of a minor, disabled, mentally challenged person, woman or a person belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and apart from this as it has also become necessary to resolve certain difficulties that have arisen in the past in various cases regarding the interpretation of section 4 of the Act, it has been decided to amend the aforesaid Act.

The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion (Amendment) Bill, 2024 is introduced accordingly.

YOGI ADITYANATH
Mukhya Mantri.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 218 राजपत्र–2024–(595)–599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।